रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1970/श्रावण 19, 1892
No. 288] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1970/SRAVNA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th August 1970

S.O. 2733.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby declares that the said section shall apply to gur in the whole of India, and fixes under clause (a) of section 16 of the said Act, the rate prevailing at the time at which the forward market in gur closed on the date of this notification, or if there was no trading on that date, on the last preceding date of trading, as the rate at which any such forward contract entered into on or before the date of this notification and remaining to be performed after the said date shall be deemed to be closed.

[No. 12(4)-I.T./70-I.]

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1970

का० आ० 2733.—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त धारा सम्पूर्ण भारत में गुड़ को लागू होगी और उक्त अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (क) के अधीन, उस समय, जब इस अधिसूचना की तारीख को गुड़ का वायदा बाजार बन्द हुआ था, या यदि उस तारीख को कोई व्यापार नहीं हुआ था तो व्यापार की अंतिम पूर्वगामी तारीख को प्रचलित दर को उस दर के रूप में नियत करती है जिस पर इस अधिसूचना की तारीख को या उसके पूर्व की गई और उक्त तारीख के पश्चात् पालन किए जाने के लिए शेष ऐसी कोई अग्रिम संविदा बन्द हुई समझी जाएगी ।

[सं० 12 (4)-आई० टी०/70-I.]

S.O. 2734.—Whereas the Central Government is of the opinion that in the interest of the trade and in the public interest, it is expedient to regulate and control non-transferable specific delivery contracts in respect of gur;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (14 of 1952), the Central Government hereby declares that the provisions of sections 5 to 14 (both inclusive) and section 15 of the said Act shall apply to non-transferable specific delivery contracts in respect of gur in the whole of India and specifies that the said provisions shall apply if such non-transferable specific delivery contracts are regulated or controlled by an association.

[No. 12(4)-I.T./70.II.]

का० आ० 2734.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि व्यापार के हित में और लोक हित में यह समीचीन है कि गुड़ के बारे में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को विनियमित और नियंत्रित किया जाए ।

अतः अब अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से लेकर 14 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) और धारा 15 के उपबन्ध सम्पूर्ण भारत मे गुड़ के बारे में अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को लागू होंगे और विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त उपबन्ध केवल तब लागू होंगे यदि ऐसी अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाएं किसी संगम द्वारा विनियमित या नियंत्रित है ।

[सं० 12 (4)-आई० टी०/70-II.]

S.O. 2735.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the associations as per list attached and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act recognition to the said associations for a period of three years from the 10th August, 1970, to the 9th August, 1973, (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said associations shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

Names of the Associations

1. The Vijai Beopar Chamber Limited, Muzaffarnagar.
2. The Kaiserganj Beopar Company Limited, Meerut.
3. The Chamber of Commerce, Hapur.
4. The Agra Merchants' Chamber Limited, Agra.
5. The Ludhiana Grain Exchange Limited, Ludhiana.
6. The India Exchange Limited, Amritsar.
7. The Tijarti Chamber Sarrafan, Beawar.
8. The Shahupuri forward Exchange Limited, Kolhapur

[No. 12(4)-I.T./70-III.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

का० आ० 2735—केन्द्रीय सरकार, संलग्न सूची में दिए हुए संगमों द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के लिए किए गए आवेदनों पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगमों को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में, 10 अगस्त, 1970 से लेकर 9 अगस्त, 1973 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त संगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाए ।

संगमों के नाम

1. विजय व्यौपार चम्बर लिमिटेड, मज्जफ्फरनगर
2. कैसरगंज व्यौपार कम्पनी लिमिटेड, मेरठ ।
3. चम्बर आफ कामर्स, हापुड़ ।
4. आगरा मर्चेण्ट्स चैम्बर लिमिटेड, आगरा ।
5. लुधियाना ग्रेन एक्सचेन्ज लिमिटेड, लुधियाना ।
6. इंडिया एक्सचेन्ज लिमिटेड, अमृतसर ।
7. तिजारती चेम्बर सर्राफा, ब्यावर ।
8. शाहूपुरी फारवर्ड एक्सचेन्ज लिमिटेड, कोल्हापुर ।

[सं० 12 (4)–आई० टी०/70–III]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970